Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 110-2025/Ext.] चण्डीगढ़, शुक्रवार, दिनांक 20 जून, 2025
(30 ज्येष्ठ, 1947 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग–I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग–II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग–III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	अधिसूचना संख्या का० आ० 50/के० अ० 32/2012/धा० 28/2025, दिनांक 20 जून, 2025– अपराधों के विचारण के लिए जिला पंचकुला, तथा गुरूग्राम में अपर सत्र न्यायाधीश के एक न्यायालय तथा जिला फरीदाबाद में अपर सत्र न्यायाधीश के दो न्यायालय विशेष न्यायालय के रूप में स्थापित करने बारे।	2955—2956
भाग–IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग–III

हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 जून, 2025

संख्या का० आ० 50/के० अ० 32/2012/धा० 28/2025.– चूंकि, हरियाणा सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, अधिसूचना संख्या 444 एस0डब्लयू(3), दिनाक 29 मई, 2013 द्वारा हरियाणा के राज्यपाल द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का केन्द्रीय अधिनियम 32), के अधीन उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए अपर सत्र न्यायाधीश (तदर्थ), फास्ट ट्रैक कोर्टस को छोड़कर, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सभी सत्र न्यायाधीशों तथा अपर सत्र न्यायाधीशों को विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित किया गया है;

और, चूंकि, माननीय भारतीय उच्चत्म न्यायालय द्वारा सूओमोटो रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या 1/2019 में निर्देश दिए गए हैं कि देश के प्रत्येक जिले, यदि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का केन्द्रीय अधिनियम 32), के अधीन सौ से अधिक मामले हैं, में एक अनन्य/पदाभिहित विशेष न्यायालय की स्थापना की जाए, जो उक्त अधिनियम के अधीन आने वाले अपराधों को छोड़कर किन्हीं अन्य अपराधों पर विचारण नहीं करेगा;

इसलिए, अब, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का केन्द्रीय अधिनियम 32), की धारा 28 की उप–धारा(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायामूर्ति के परामर्श से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा केवल उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए जिला पंचकुला, तथा गुरूग्राम में अपर सत्र न्यायाधीश के एक न्यायालय तथा जिला फरीदाबाद में अपर सत्र न्यायाधीश के दो न्यायालय मुख्यतः उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में स्थापित करते हैं।

टिप्पणः उपरोक्त स्थापित न्यायालय, हरियाणा सरकार, न्याय प्रशासन विभाग, अधिसूचना संख्या का.आ.7/के.अ.32/2012/धा.28/2020, दिनांक 17 जनवरी, 2020 द्वारा स्थापित न्यायालयों के अतिरिक्त होंगे।

डॉ सुमिता मिश्रा,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 20th June, 2025

No. S.O. 50/C.A. 32/2012/S. 28/2025.— WHEREAS, *vide* Haryana Government, Women and Child Development Department , Notification No. 444SW(3), dated the 29th May, 2013, the Governor of Haryana designated all the Session Judges and Additional Session Judges, except the Additional Session Judge (Ad-hoc, Fast Tract Courts), at each district headquarter, to be a Special Court under the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (Central Act 32 of 2012) to try the offences under the said Act;

AND,WHEREAS, the Hon'ble Supreme Court of India in Suo Moto Writ Petition (Criminal) No. 1/2019 directed that in each district of the country, if there are more than hundred cases under the Protection of children from Sexual Offences Act, 2012 (Central Act 32 of 2012), an exclusive/designated Special Court shall be set up, which shall try no other offences except those under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 28 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (Central Act 32 of 2012), the Governor of Haryana in consultation with the Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court, hereby establishes one court of Additional Session Judge each in districts of Panchkula and Gurugram and two courts of Additional Session Judge in district Faridabad to try the offences exclusively under the said Act as Special Court.

Note: The above established Courts shall be in addition to the Courts established *vide* Haryana Government, Administration of Justice Department, notification No. S.O.7/C.A.32/2012/S.28/2020, dated the 17th January, 2020.

DR. SUMITA MISRA,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Administration of Justice Department.

11935—L.R.—H.G.P., Pkl.